न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 26/2019 **दायर दिनांकः 05/02/2019**

उनवान

1. रामचन्द्र उम्र 65 वर्ष पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभूलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र उदालाल जाति गुर्जर
2. त्रिलोक उम्र 35 वर्ष पुत्र मुरारीलाल जाति अहीर
3. बाबूलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर
4. लेखराज उम्र 50 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासीगण मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. नाथी बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री किशनलाल पत्नि स्व0 हेमराज जाति गुर्जर निवासी मायथा हाल मुकाम कीरपुरिया।
6. मधु बाई उर्फ मठु बाई उम्र 53 वर्ष पुत्री किशनलाल पत्नि स्व0 भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी मायथा हाल मुकाम रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. बंशीलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर
8. भोजराज उम्र 50 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर
9. मूर्ति बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर
10. कान्ती बाई उम्र 70 वर्ष पत्नि स्व0 कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासीगण मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 48 आर0टी0 एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री सौमित्र सिंह।

आदेश दिनाकः 16/02/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. एवं धारा 48 आर.टी. एक्ट

का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 182 के ख० न० 410/641 का रकबा 0.02 है०, ख०न० 416 का रकबा 0.09 है०, ख०न० 512 का रकबा 1.19 है०, ख०न० 519/646 का रकबा 0.70 है०, ख०न० 571 का रकबा 1.35 है० कुल किता 5 कुल रकबा 3.35 है० आराजी प्रार्थी के व खाता संख्या 94 का ख0नं0 185 का रकबा 0.48 है0, ख0नं0 199/635 का रकबा 0.28 है0, ख0नं0 410/640 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 414 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 510 का रकबा 1.22 है0, ख0नं0 518 का रकबा 0. 53 है0, ख0नं0 519/644 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 553 का रकबा 1.40 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 4.16 है0 आराजी अप्रार्थी कम 1 व 2 के शामलाती खाते तथा माल मायथा की खाता संख्या 107 का ख0नं0 372 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 410 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 513 का रकबा 1.26 है0, ख0नं0 519 का रकबा 0.70 है0, ख0नं0 552 का रकबा 1.56 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.65 है0 आराजी अप्रार्थी कम 3 ल 6 के शामलाती खाते व माल मायथा के खाता संख्या 95 का ख0नं0 410/642 रकबा 0.02, ख0नं0 417 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 511 रकबा 1.17 है0, ख0ं0 518/643 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 519/649 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 578 रकबा 1.44 है0 कुल किता 6 रकबा 3.40 है0 अप्रार्थी कम 7 ल 10 के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 571 का रकबा 1.35 है0 आराजी पर आने जाने का रास्ता अपने पूर्वजों के समय से ही प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 553 का रकबा 1.40 है0 व ख0नं0 552 का रकबा 1.56 है0 के मध्य की मेड पर होकर तथा प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0ं0 578 का रकबा 1.44 है की मेड पर होकर है जिसका प्रार्थी हल कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिये उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इसके अलावा प्रार्थी के खाते की प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 571 का रकबा 1. 35 है0 पर आने जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। यदि उक्त आराजी पर आने जाने के लिए प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थी की भूमि पडत रह जावेगी। संलग्न मानचित्र में G मार्क से प्रदर्शित स्थान प्रार्थी का खेत है, I मार्क से प्रदर्शित स्थान अप्रार्थी कम 1 व 2 का खेत है, H मार्क से प्रदर्शित स्थान अप्रार्थी कम 3 ल 6 का खेत है, J मार्क से प्रदर्शित स्थान प्रार्थी के खेत

G मार्क से प्रदर्शित स्थान पर आने जाने का ट्रेक्टर ट्रोली, हल कुली, व कृषि यंत्र नहीं ले जा सकता है जिसके कारण प्रार्थी की आराजी पडत रहने की संभावना है। प्रार्थी से ABCDEF मार्क से प्रदर्शित रास्ते को खुलासा करने के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ABCDEF मार्क से प्रदर्शित रास्ते का उपयोग उपभोग करने से मना कर दिया तथा प्रार्थी के साथ गाली गलोच की व जान से माने की धमकी दी, कहा कि यहां होकर तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है यदि ABCDEF मार्क से प्रदर्शित रास्ते पर होकर निकला तो साफ जान से मार देगें। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू को प्रतिवादी कम 11 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखित निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर.टी. एक्ट एवं धारा 48 आर.टी एक्ट पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 571 का रकबा 1.35 है0 G मार्क से प्रदर्शित पर आने जाने व ट्रेक्टर ट्रोली कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए ABCDEF मार्क से प्रदर्शित रास्ते को 10 फुट चौडा व 1100 फुट लम्बा अप्रार्थीगण के खाते की आराजी ख0नं0 552 रकबा 1.56 है0 H मार्क से प्रदर्शित स्थान व ख0नं0 553 रकबा 1.40 है0 I मार्क से प्रदर्शित स्थान के मध्य की मेड पर होकर तथा ख0नं0 578 रकबा 1.44 है0 J मार्क से प्रदर्शित खेत की मेड पर होकर ABCDEF मार्क से प्रदर्शित स्थान पर होकर रास्ता दिया जावे तथा जितनी भूमि अप्रार्थीगण की प्रार्थी के रास्ते के लिये उपयोग मे दी जावेगी उतनी भूमि की डी.एल.सी. रेट से रास्ते की भूमि की राशि जमा करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी कम 11 को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 ल 3, 5 ल 7 तथा 9 व 10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक

तरफाा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 4, 8 एवं 11 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

तहसीलदार अटरू से उक्त रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/21/40 दिनांक 11.01.2021 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र कालूलाल जाति गुर्जर निवासी मायथा के आराजी ख0नं0 571 की 1.35 है0 के रास्ते का मौका देखा गया । उक्त ख0नं0 का राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है लेकिन प्रार्थी का परम्परागत रास्ता ख0नं0 452 की 1.56 है0 व 453 की 1.40 है0 भूमि रेखववाल पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर व प्रभूलाल पुत्र उदालाल जाति गुर्जर के मध्य की मेड से होते हुए ख0नं0 578 की 1.44 है0 की मेड से होते हुए जाता था। जिसे वर्तमान में 578 की 1.44 है0 के खातेदार भोजराज, बंशीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर ने अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी ख0नं0 452 व 453 की मेड से होते हुए 578 की मेड से निकलकर अपने आराजी ख0नं0 571 में आने जाने व कृषि यंत्र ले जाने हेतु रास्ता चाहता है।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम एवं माल मायथा के प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 571 का रकबा 1.35 है0 G मार्क से प्रदर्शित पर आने जाने व ट्रेक्टर ट्रोली कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए ABCDEF मार्क से प्रदर्शित रास्ते को 10 फुट चौडा व 1100 फुट लम्बा अप्रार्थीगण के खाते की आराजी ख0नं0 552 रकबा 1.56 है0 H मार्क से प्रदर्शित स्थान व ख0नं0 553 रकबा 1.40 है0 I मार्क से प्रदर्शित स्थान के मध्य की मेड पर होकर तथा ख0नं0 578 रकबा 1.44 है0 J मार्क से प्रदर्शित खेत की मेड पर होकर ABCDEF मार्क से प्रदर्शित स्थान पर होकर रास्ता दिया जावे।

पत्रावली एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रार्थी नियमानुसार DLC की दुगनी राशि अप्रार्थीगण को देने के लिए तैयार है इसलिए प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल मायथा

तहसील अटरू की आराजी ख0नं0 571 का रकबा 1.35 है0 तक आने–जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी ग्राम मायथा के आराजी ख0नं0 552 रकबा 1.56 है0 H मार्क से प्रदर्शित स्थान व ख0नं0 553 रकबा 1.40 है0 I मार्क से प्रदर्शित स्थान के मध्य की मेड पर होकर तथा ख0नं0 578 रकबा 1.44 है0 J मार्क से प्रदर्शित खेत की मेड पर होकर ABCDEF मार्क से प्रदर्शित स्थान पर होकर 10 फुट चौडा व 1100 फुट लम्बा (यानी 11000 वर्ग मीटर) नियमानुसार DLC की दुगनी राशि अप्रार्थीगण कम 1 ल 10 को हिस्से अनुसार दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां